

NTC

# नामान्तरण संबंधी (अंचल अधिकारी के न्यायलय का)

## आदेश फलक

(अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक ..... तारीख ..... से ..... तक

जिला ..... अनुमंडल :- बाढ़, अंचल :- अथमलगोला का केस का प्रकार

$\frac{65}{379}$  एवं वर्ष 13-14

आदेश की सं०	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में तारीख सहित
24/05/13	<p>श्री/श्रीमति <u>जयन्ती देवी</u>  पिता/पति <u>गोपाल सिंह</u>  ग्राम <u>खपल कान्हा</u> थाना <u>अथमलगोला</u>  जिला पटना अंचला अथमलगोला जिला ने निम्नलिखित जमीन बिक्री/दानपत्र/बख्शीशनामा बटवॉरा/विनिमय/उत्तराधिकार द्वारा प्राप्त किया है तथा इसके नामान्तरण का आवेदन समर्पित किया है।</p> <p>अतः संबंधित वसीका सह कागजात को हल्का कर्मचारी को अंचल निरीक्षक के माध्यम से नामान्तरण के विन्दु पर जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निर्देशित करें।</p> <p>अभिलेख दिनांक <u>6/06/13</u> को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: center;"><b>जमीन का विवरण</b></p> <p>ग्राम /थाना नं० <u>१६३२४</u> खाता नं० <u>११५</u>  खेसरा <u>७३७, ६७६, ७१५</u> रकबा <u>साठ अक्षर आठ अक्षर</u>  <u>७१५, ७३९</u> <u>२५ अक्षर</u></p> <p style="text-align: right;"><u>24/05/13</u> अंचलाधिकारी, अथमलगोला</p>	

18/07/13

86/13

अभिलेख उपस्थापित किया गया। हल्का कर्मचारी का जॉब प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त हुआ। प्रतिवेदन के अंतर्गत से विदित होता है कि प्रतिवेदन जमीन विक्री पत्र / दानपत्र / बटवारा / विनिमय / उत्तराधिकार द्वारा प्राप्त की गयी है। विक्रेता के नाम से जमाबन्दी कायम है / नहीं है। अतः नामान्तरण स्वीकृत के पूर्व आपति आमंत्रण हेतु केता विक्रेता एवं आम महाल के नाम से सूचना निगूत कर अभिलेख दिनांक 24/8/13 को उपस्थापित करें।

अंचलाधिकारी,  
अथमलगोला

तामिला प्रतिवेदन प्राप्त

24/8/13

तामिला के उपरान्त श्री कल्लोर न  
पिता/पति जमाबन्दी 24/08/13 द्वारा आपति दर्ज कराया गया है। आपति का प्रकार जमाबन्दी 24/08/13 की सुनवाई की गई किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई आपति दर्ज नहीं किया गया है। अभिलेख दिनांक 08/07/13 को उपस्थापित करें।

08/07/13

हल्का कर्मचारी / अंचल निरीक्षक के द्वारा नामान्तरण से संबंधित जमाबन्दी का ब्योरा नहीं किया गया है। विक्रेता के नाम से पंजी 2 में जमाबन्दी कायम नहीं है। इस सम्बन्ध में आवेदक द्वारा भी दावे के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के आभाव में नामान्तरण/दाखिल खारिज अस्वीकृत किया जाता है।

अंचलाधिकारी  
अथमलगोला

अंचलाधिकारी  
अथमलगोला

Handwritten signature and date at the bottom of the page.